

सं. 40-3/2020-डीएम-(ए)
भारत सरकार
गृह मंत्रालय

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली-110001
दिनांक 27 अक्टूबर, 2020

आदेश

आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 10 (2) (ठ) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधोहस्ताक्षरी यह निदेश देते हैं कि गतिविधियों को फिर से शुरू किए जाने के बारे में गृह मंत्रालय के दिनांक 30.09.2020 के समसंख्यक आदेश के तहत जारी किए गए दिशानिर्देश 30.11.2020 तक प्रवृत्त रहेंगे।

हस्ता 0/-

केन्द्रीय गृह सचिव

एवं अध्यक्ष, राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति (एनईसी)

सेवा में,

1. भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों के सचिव।
2. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिव/प्रशासक (संलग्न सूची के अनुसार)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को प्रेषित :

- i. राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति के सभी सदस्य।
- ii. सदस्य सचिव, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण।